न्यायालय सिविल जज, हरिद्वार

प्रकीर्ण वाद सं0 69/2022

कम्प्यूटर संख्या 33/2022

नीलाभ मिश्रा बनाम श्री महंत रविन्द्र पुरी

9B/3

दिनांक 22.02.2023

पत्रावली पेश। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश वर्मा को प्रार्थना पत्र 4बी पर एकपक्षीय रूप से सुना गया है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 4बी अन्तर्गत धारा 30(1) यू0पी0 एक्ट 13 सन् 1972

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र विपक्षी के विरूद्ध धारा 30(1) यू0पी0 एक्ट 13/72 में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के कथनानुसार, प्रार्थी की मां मनसा देवी मन्दिर परिसर में स्थित जूता स्टाल के पास प्रसाद, पूजा सामग्री की दुकान है, जिसके बाबत किराया जमा किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.12.2023 तक 12 माह का कुल किराया 30,000/–रूपये प्रति वर्ष जमा करने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थी द्वारा अनावृत रूप से मॉ मनसा देवी मन्दिर परिसर में स्थित प्रसाद, चुनरी, नारियल की दुकान संचालित की जा रही है, जिससे प्रार्थी की रोजी रोटी चलती है और प्रार्थी के पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। विपक्षी द्वारा किराया प्राप्त करने के बावजूद रसीद ना दिये जाने पर प्रार्थी स्वयं न्यायालय के समक्ष उक्त दुकान का किराया जमा कर रहा है और अग्रिम रूप से प्रार्थी न्यायालय के समक्ष उक्त दुकान का किराया जमा करता रहेगा। जिसके लिए प्रार्थी को उक्त दुकान के सम्बंध में किराया जमा करने की अनुमति प्रदान की जानी न्यायहित में आवश्यक है।

विपक्षी को नोटिस प्रेषित किये गये परन्तु पर्याप्त तामिली के पश्चात भी विपक्षी उपस्थित नही आया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा स्वयं को प्रश्नगत सम्पत्ति का किरायेदार कहते हुए न्यायालय में प्रश्नगत सम्पत्ति का किराया जमा करने की अनुमति चाही गयी है।

न्यायालय के विचार में यह एक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र है, जिसमें किसी भी पक्ष के स्वामित्व को अथवा विधिक अधिकारों को तय नहीं किया जाना है। यदि उपरोक्त प्रकीर्ण वाद में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे प्रश्नगत सम्पति का कथित किराया न्यायालय में जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए तो इससे किसी भी पक्ष के विधिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। न्यायहित में प्रार्थी का 4बी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का उचित आधार है। प्रार्थना पत्र 4बी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 4बी अर्न्तगत धारा 30(1) यू0पी0 एक्ट 13 सन् 72 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को अपने जोखिम पर प्रार्थना पत्र 4बी में वर्णित सम्पत्ति का कथित किराया न्यायालय में जमा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[illegible] आदेश से पक्षकारों के विधिक अधिकार प्रभावित नही होगें। विपक्षी न्यायालय में जमा [illegible] प्राप्त कर सकता है। पत्रावली